07/2024

13/1/25

पत्रावली पेश हुई। वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता उपस्थित। शेष प्रतिवादी अनुपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौराने बहस वादीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादीगण ओर से वादग्रस्त आराजी ग्राम कोरणा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 99,104,106,108,110,114,117,118 व 182 कुल रकबा 16.06 बीधा भूमि में 1/6 हिस्सा खातेदारी अधिकारों की धोषणा एवं इसी ग्राम की खसरा संख्या 105,112,113,116 व 195 कुल रकबा — 247.17 बीधा भूमि में 1/2 हिस्सा खातेदारी अधिकारो की धोषणा बाद बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वांछित अनुतोष चाहा गया था। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के संबध में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा हो गया और पक्षकार की ओर से दिनांक 09.4.2024 को न्यायालय श्री में आपसी राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा के अनुसार वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 के हक हिस्से में से 63.05 बीधा भूमि वादीगण को दी जानी तय की गई है। अंत में निवेदन किया कि राजीनामा माफिक 63.05. बीधा भूमि का वादीगण की खातेदारी धोषित करते हुए माफिक राजीनामा दावा डिक्री किया जावें।

प्रतिवादी संख्या 01 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के संबध में पक्षकारान के मध्य राजीनामा पेश हो चुका है। राजीनामा माफिक वादग्रस्त आराजी में से 63.05 बीधा भूमि वादीगण की खातेदारी में धोषित की जाती है,तो आपति नहीं है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं राजीनामा का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि वादीगण की ओर से वादग्रस्त आराजी ग्राम कोरणा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 99,104,106,108,110,114,117,118 व 182 कुल रकबा 16.06 बीधा भूमि में 1/6 हिस्सा एवं इसी ग्राम की खसरा संख्या 105,112,113,116 व 195 कुल रकबा 247.17 बीधा भूमि में 1/2 हिस्सा खातेदारी अधिकारो की धोषणा बाद बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वांछित अनुतोष चाहा गया था। तत्पश्चात

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 (नाथूसिंह पुत्र हेमसिंह) के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति के आधार पर वादग्रस्त आराजी के संबध में न्यायालय हाजा में दिनांक 09.4.2024 को राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 (नाथूसिंह) द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 99, 104, 106, 108, 110, 114, 117,118 व खसरा संख्या 105,112,113,116 व 195 मे अपने हक हिस्से भूमि मे से 63.05 बीधा भूमि वादीगण को दी जानी तय की गई है तथा वादीगण की ओर से भी राजीनामा माफिक दावा डिक्री की जानी पर सहमति दी गई है तथा प्रतिवादी संख्या 01 भी माफिक राजीनामा दावा डिक्री करवाने पर रजामंद है। न्यायालय हाजा का मानना है कि जब पक्षकारान की ओर से वादग्रस्त आराजी के संबध में राजीनामा पेश किया जा चुका है,तो राजीनामा से बेहतर अन्य कोई विकल्प हो नहीं सकता है,क्योंकि पक्षकारान के मध्य लम्बे समय से वादग्रस्त आराजी को लेकर विवाद चल रहा है तथा इस स्तर पर पक्षकारान द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीमाना पेश किया जा चुका है तथा न्यायालय हाजा को भी राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री किए जाने पर गौर किया जाना है। न्यायालय हाजा को यह तय करना है कि राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किए जाने से राजस्व हानि अर्थात पंजीयन शुल्क की हानि नहीं होनी चाहिए। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड अवलोकन से पाया कि वादग्रस्त आराजी में से मथरा बेवा खीमसिंह के नाम प्रविष्टि प्रारम्भ रेकर्ड से ही है। इस कारण वादीगण बिना पंजीयन शुल्क अदा किए वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाते है,तो राजस्व हानि होगी। इस कारण वादीगण को खातेदारी अधिकारों की डिक्री प्रदान की जाती है,उसे पंजीयन करवाया जाना आवश्यक है,ताकि राजस्व हानि नही हो तथा डिक्री को पंजीयन करवाने पर वकील वादीगण द्वारा सहमति भी प्रदान की गई है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादीगण का वाद माफिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

लिहाजा वादीगण का वाद माफिक राजीनामा अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम कोरणा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 99, 104, 106, 108, 110,114,117,118 व 182 कुल रकबा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

16.06 बीधा एवं इसी ग्राम की खसरा संख्या 105,112,113,116 व 195 कुल रकबा 247.17 बीधा भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 (नाथूसिंह) के हक हिस्से भूमि मे से 63.05 बीधा भूमि वादीगण की खातेदारी मे धोषित की जाती है। वादीगण को हिदायत दी जाती है कि डिक्री का नियमानुसार पंजीयन करवाकर पंजीयन शुल्क अदा करें। तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है कि वादीगण द्वारा डिक्री को पंजीयन करवाने के बाद नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हों।

13/01/2025

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 07/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/37

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1.हरीसिंह पुत्र प्रेमसिह 2.पूरो बेवा विरदसिंह जाति राजपुरोहित निवासी कोरणा तहसील कल्याणपुर		1.नाथूसिंह पुत्र हेमसिंह 2.भूरसिंह पुत्र हेमसिंह 3.मोहनसिंह पुत्र हेमसिंह 4.भंवरसिंह पुत्र शंकरसिंह 5.मांगीदेवी बेवा शंकरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी कोरणा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 6.अणछीकंवर पत्नी मांगूसिंह जाति राजपुरोहित निवासी कुड़ी भगतासनी सांगरिया रोड़ जोधपुर 7. भंवरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह 8.तुलसी बेवा इन्द्रसिंह 9.रूपसिंह पुत्र भीमसिंह 10.शिवसिंह पुत्र भीमसिंह 11.अर्जुनसिंह पुत्र भीमसिंह 12.हीरो कंवर बेवा भीमसिंह 13.जवाहरसिंह पुत्र देवीसिंह 14.तगसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी कोरणा तहसील पचपदरा 15.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा वर्तमान तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व वाद बाबतः–88,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बरः–07/2024

निर्णय दिनांक :–13.01.2025

वादीगण की ओर से श्री संतोष भंसाली एवं दुर्गेश दैया अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री लाधूराम चौधरी की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 15 अनुपस्थित इस वाद में आज तारीख 13.01.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:—वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण माफिक राजीनामा अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कोरणा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 99, 104, 106, 108, 110,114,117,118 व 182 कुल रकबा 16.06 बीघा एवं इसी ग्राम की खसरा संख्या 105,112,113,116 व 195 कुल रकबा 247.17 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 (नाथूसिंह) के हक हिस्से भूमि मे से 63.05 बीघा भूमि वादीगण की खातेदारी मे धोषित की जाती है। वादीगण को हिदायत दी जाती है कि डिक्री का नियमानुसार पंजीयन करवाकर पंजीयन शुल्क अदा करें। तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है कि वादीगण द्वारा डिक्री को पंजीयन करवाने के बाद नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

यह आज तारीख 13.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा
13/01/2025

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	——	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4..........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	——————
5.साक्षियों के लिए निर्वाह—व्यय		5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल	——		
जोड़	—	जोड़	—————

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा